मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004 (श्रावण 1, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में एक भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 53 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी के विरोध में तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा नारेबाजी करते रहे)

व्यवधान होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही 11.32 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित होकर 11.44 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी के विरोध में तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा नारेबाजी करते रहे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की म.प्र. शासन द्वारा चावल, दाल पर वाणिज्यिक कर लगाने के विरोध में व्यापारियों द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ किये जाने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की जिला रीवा के अन्तर्गत एकीकृत आदिवासी परियोजना पिपराही में विद्युतीकरण न होने,

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की मैहर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले हायर सेकेन्डरी, हाई स्कूल, माध्यमिक एवं प्रायमरी शालाओं की हालत जीर्ण क्षीर्ण होने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में स्थित आवदा बांध की मुख्य नहर के किनारे के पेड़ों की अवैध कटाई होने,

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के लालघाटी रेटघाट तथा भदभदा रोड़ पर लगे होर्डिगों से शहर की सुन्दरता को क्षति पहुंचाए जाने,

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित वार्ड क्रमांक 17 न्यू कबाड़खाना क्षेत्र की सड़को की हालत जर्जर होने,

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जिला भिण्ड स्थित मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में मिल मालिकों द्वारा अनुबंध के उपरान्त भी क्षेत्रीय लोगों को रोजगार न देने,

(8) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य की ग्वालियर में आरक्षकों की भर्ती में धांधली होने,

(9) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के मोरडोंगरी हाईस्कूल का उन्नयन हो जाने के उपरान्त भी पर्याप्त स्टाफ का अभाव होने, तथा

(10) श्री पंडित रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के झिलमिली पाल्हरी सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने -

(1) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (2.11.2001 से 31.03.2003 तक); तथा

(2) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा-182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 861-विनिआ-04, दिनांक 27 मार्च, 2004,

(ख) क्रमांक 888-म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 2 अप्रैल, 2004,

(ग) क्रमांक 1003 म.प्र.वि.नि.-04, दिनांक 12 अप्रैल, 2004,

(घ) क्रमांक 1389-वि.नि.आ.-2003, दिनांक 29 मई, 2004, एवं

(ङ) क्रमांक 1454-म.प्र.वि.नि.आ.-2004, दिनांक 1 जून, 2004,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

व्यवधान होने के कारण सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया" आरिफ अकील, सदस्य की ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी।

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने ग्वालियर जिले की ग्वालियर एवं रायरू डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

5. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -30	ग्रामीण विकास के लिए सतहत्तर करोड़, बाईस लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -56	ग्रामोद्योग के लिए तेरह करोड़, छियासठ लाख, चौवन हजार रूपये,
अनुदान संख्या -62	पंचायत के लिए छब्बीस करोड़, सतहत्तर लाख, पचहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -68	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत के लिए तीस करोड़, छः लाख, इकसठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या -80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए चार सौ चौहत्तर करोड़, तीन लाख, अड़सठ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ छियासठ करोड़, सत्रह लाख, पन्द्रह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 30	1,2,3
मांग संख्या - 56	1,3,4,9
मांग संख्या - 62	1
मांग संख्या - 68	1
मांग संख्या - 82	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 30,56,62,68,80 एवं 82 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री रामलखन शर्मा, डॉ. सुनीलम्, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा तथा कुंवर विजय वहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य आसंदी के नजदीक आकर मांग करते रहे कि अनुदानों की मांगों पर उनको बोलने का मौका दिया जाय। व्यवधान उत्पन्न करने पर मार्शलों द्वारा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य को सदन से बाहर निकालने का प्रयास करने पर व आसंदी के समक्ष धरने पर बैठ गये)

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह से नारेबाजी की जाती रही)

(2) श्री हरनाम सिंह राठौर, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -5	जेल के लिए सैतीस करोड़, नब्बे लाख, छः हजार रूपये,
अनुदान संख्या -14	पशुपालन के लिए एक सौ दो करोड़,बयालीस लाख,छत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -16	मछलीपालन के लिए सात करोड़, अड़सठ लाख, सत्रह हजार रूपये,
अनुदान संख्या -50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन के लिए निन्यानवे लाख, तेरह हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल के लिए इक्यासी लाख, बानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 5	2,4,5
मांग संख्या - 14	1,2,3,4
मांग संख्या - 16	1,2
मांग संख्या - 50	1
मांग संख्या - 86	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 5,14,16,50 एवं 86 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -18	श्रम के लिए उनतीस करोड़, अठासी लाख, अठानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या -33	आदिम जाति कल्याण के लिए दो सौ पचास करोड़, इकसठ लाख, सैतीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए सात सौ उनसठ करोड़, इकतालीस लाख, चौबीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 18	45,8
मांग संख्या - 33	12,3
मांग संख्या - 41	1,3

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 18,33 एवं 41 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

व्यवधान होने के कारण 12.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 (श्रावण 4, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.